उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:03/2022/ 1545384/12-2099/219/2021
लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 3-6(KKA-III)/2020 एम एण्ड टी (आई एण्ड पी) दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा कृषि कल्याण अभियान-III शतप्रतिशत सेचुरेशन अभियान इन सेवापुरी ब्लॉक ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हेतु केन्द्रांश की अवमुक्त धनराशि रू. 21.06 लाख (इक्कीस लाख छः हजार रूपये मात्र) के सापेक्ष, अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (एन.एम.ए.ई.टी) (के.60/रा.40-के.+रा.)- 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू. 20110.61 लाख के सापेक्ष, केन्द्रांश की अवमुक्त धनराशि रू. 21.06 लाख (इक्कीस लाख छः हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि विषयक उपर्युक्त पत्र दिनॉक 15 नवम्बर, 2021 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, तथा, अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परयोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगें, तथा, अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगें, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।
2. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जाएगा, जब कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप एन0एम0ए0ई0टी0 योजना हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है, को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

12. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की** अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (एन.एम.ए.ई.टी) (के.60/रा.40-के.+रा.)- 27-सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3497-दस-2021-22, दिनॉक 07 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहा है।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 03/2022/ 1545384(1)/12-2099/219/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/1244/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 तथा संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उनके पत्र दिनॉक 22 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in